दीक्षा पुस्तकों का मुद्रण (प्रिन्टिंग) कार्य हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें।

निर्देशानुसार प्रति (Copy) संलग्न करें:-

1. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, द्वारा प्रथमा दीक्षा (05 पुस्तक का सेट) की 5000 तथा द्वितीया दीक्षा (03 पुस्तकों का सेट) की 5,000 एवं संक्षेपरामायण की 3,000 प्रतियाँ मुद्रित किये जाने हैं। इच्छुक मुद्रक/प्रकाशक, जो 05 वर्षों के संस्कृत मुद्रण अनुभव के साथ न्यूनतम 05 वर्षों का टर्न ओवर 30 लाख हो, प्रमाणित दस्तावेज के साथ निर्धारित रूप में मुहरबंद निविदा-प्रभारी (शोध एवं प्रकाशन) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, 56-57 इन्स्टीट्यूशन एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के नाम से **दिनांक 12.10.2021 अपराह्ण 2.00 बजे** तक व्यक्तिगत रूप से निविदा बाक्स में जमा कर सकते हैं। **दिनांक 12.10.2021 अपराह्ण 4.00 बजे** निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी। इच्छुक टेण्डरकर्ता उक्त समय पर उपस्थित रह सकते हैं।
2. फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
3. निविदा फर्म का पैनकार्ड।
4. विगत पाँच वर्षों का इन्कम टैक्स रिर्टन (ITR) विवरण।
5. विगत पाँच वर्षों का संस्कृत पुस्तक मुद्रण करने का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. 10,000/-धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वत: निरस्त मानी जाएगी।
7. निविदा स्वीकार न होने की दशा में चयनित निविदा-दाता को छोड़कर अन्य सभी निविदा-दाताओंकी धरोहर-राशि का फिक्स डिपाजिट रसीद (FDR/D.D.) वापस कर दी जाएगी।
8. बिक्री कर विभाग से जारी टी.आई.एन./जी.एस.टी. (TIN/ GST) नम्बर।
9. सर्विस टैक्स क्रमांक।
10. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100 प्रतिशत रहेगी।
11. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन में सफल निविदा-दाता को स्वीकृत निविदा राशि की 5 प्रतिशत धनराशि का (FDR) निष्पादित गारंटी के रूप में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से छ: माह की अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
12. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर दस कार्यदिवस के अन्दर कार्यादेश जारी किया जा सकता है। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
13. अनुबन्ध जारी होने की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
14. निविदा दरें विश्वविद्यालय की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अत: निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा। अर्थात् सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित निविदा में किसी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स भुगतान या शर्तों का उल्लेख न किया जाए।
15. सेवाओं में लापरवाही या कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी का अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही समाप्त करने का अधिकार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को होगा एवं ऐसी स्थिति में धरोहर राशि वापस नहीं की जाएगी।

(क)तकनीकि बोली - उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण-प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ एवं निर्धारित अमानत राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) अंतिम तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

(ख)वित्तीय बोली - केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाए। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छाँट या ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा।

16. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
17. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकी बोली पर विचार होगा। मांगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही वित्तीय बोली पर विचार होगा। तकनीकी बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली निरस्त कर दी जाएगी।
18. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
19. निर्धारित समय सीमा में कार्यादेश का पालन न करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात (जब्त) कर ली जाएगी।
20. सामान लाने ले जाने के लिए किसी प्रकार का ट्रासंपोर्ट का किराया आदि अलग से भुगतान नहीं होगा।

21. बिल राशि से नियमानुसार (TDS) की कटौती की जिम्मेदारी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की रहेगी। (TDS) कटौती से सम्बन्धित 16ए फार्म (TDS) जमा होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।
22. निविदा स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन रहेगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
24. किसी प्रकार के वाद-विवाद के लिए भारतीय कानून के साथ न्यायायिक क्षेत्र, नई दिल्ली रहेगा।
25. इन पुस्तकों का कवर 4 रंगों में मुद्रित होगा पुस्तक का आकार 20X30/8 है। पुस्तक की बाईडिंग परफैक्ट सिलाई सहित होगी। पुस्तकों हेतु कागज 80 (GSM) बल्लारपुर का उपयोग करना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ पेपर का नमूना (पेपर का प्रकार अवश्य दर्शायें) भी स्वहस्ताक्षरित संलग्न करें।
26. ग्रन्थों के पुनर्मुद्रण हेतु नमूना कार्यालय समय में (अवकाश दिवसों को छोड़कर) विश्वविद्यालय के विक्रय अनुभाग में प्रातः 10 से सायं 5 अनुसार होगी कार्यादेश के एक माह के अन्दर बाइण्डिग की हुई प्रत्येक पुस्तक की दो-दो डमी प्रतियाँ देखी जा सकता है।
27. पुस्तक की बाइंडिग का नमूना कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक है। डमी प्रतियाँ सुपाठ्य न होने पर मुद्रणादेश निरस्त किया जा सकता है।
28. प्रत्येक मुद्रित पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव व डी.वी.डी बिल के साथ जमा करना अनिवार्य है।
29. प्रत्येक पुस्तक को सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण रहित पारदर्शी थैली में पैक करके आपूर्ति करनी होगी, जिसका वहन मुद्रक द्वारा स्वयं किया जाएगा।
30. पुस्तकों की गुणवत्ता (मुद्रण, बाइण्डिग, साईज एवं अन्य) पूर्ववत् या बेहतर होगी।
31. जिल्द पर पापलीन कपड़ा लगाना आवश्यक है। पुस्तक के दोनों तरफ लीफ प्रिटिंग करना आवश्यक है।
32. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षरित करना आवश्यक है।
33. असफल निविदाकारों की जमा की गयी राशि वापिस की जाएगी।
34. निविदा मूल्य प्रत्येक ग्रन्थ के प्रति पृष्ठ के अनुसार दिया जाए और इस प्रति पृष्ठ मूल्य में समस्त लागत (टंकण, स्कैनिंग, बाइडिंग, सिलाई, विश्वविद्यालय तक आपूर्ति तथा अन्य समस्त लागत समाहित हो)।

कुलसचिव
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली